कार्यवाही विवरण

आदेश	
10/12/21	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं वादी को बार-बार आवाज लगवाई गई, परन्तु इनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं है। से यह स्पष्ट होता है कि वादी भी अपने वाद में रुची नहीं है। अतः वाद वादी अदम पैरवी एवं अदम खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर ले कम हो तथा वाद तकमील काबा दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुना गया।

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.01.31 16:18:17 IST
Reason: SelfAttested